

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उत्तर प्रदेश।  
पत्रांक सी-२३ /विकास/ दिनांक लखनऊ: सितम्बर/१, 2017

1-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक  
जिला सहकारी बैंक, उ०प्र०

2-समस्त सचिव,

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां/केन्द्रीय सहकारी समितियां,  
द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,  
सहकारिता, उ०प्र०।

शासन द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपकरणों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जाब वर्क एवं सामग्री के क्रय हेतु दिनांक 1-9-2017 से ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू कर दी गयी है, किसी विभाग/संस्था में उक्त तिथि के उपरान्त किसी अन्य माध्यम से कराये गये उपरोक्त कार्य वैध नहीं माने जायेंगे।

जिला सहकारी बैंकों व कतिपय अन्य सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में लाये गये हैं कि इन संस्थाओं में स्टेशनरी मुद्रण हेतु ई-टेण्डरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे शासन के आदेश का उल्लंघन हो रहा है अतएव प्रश्नगत संस्थाओं में स्टेशनरी मुद्रण आदि कार्य ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही किया जायेगा।

प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश सं० 11/2017/523/18-2-2017-97 (ल.उ.)/2016 दिनांक 23-8-2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उ०प्र० के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु विकसित नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के रूप में अनुमोदित एवं सामान्य वित्ती नियम -2017 द्वारा भारत सरकार से सभी विभागों हेतु बाध्यकारी, आनलाईन प्लेटफार्म Government e-Market place (GEM) जेम व्यवस्था लागू किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अत निर्देशित किया जाता है कि समस्त सहकारी संस्थाओं में दिनांक 1-9-2017 के उपरान्त शासनादेश के अनुरूप ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य किये जाय तथा भारत सरकार द्वारा जेम व्यवस्था लागू करने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय  
संलग्नक:-यथोक्त।

(श्रीकान्त गोस्वामी)

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (विकास)  
सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।  
पत्रांक 201-01/पी0ए0/आर0सी0एस0, दिनांक लखनऊ अगस्त 04 2017


- 1- समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक,  
सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार,  
सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- समस्त प्रबन्ध निदेशक,  
शीर्ष सहकारी संस्थाएं/  
उ0प्र0राज्य भण्डारण निगम लि0,  
लखनऊ।

प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-  
11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 द्वारा उत्तर  
प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के  
क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं  
की क्रय व्यवस्था हेतु विकसित, नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में  
अनुमोदित एवं सामान्य वित्तीय नियम-2017 द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु  
बाध्यकारी, ऑनलाइन प्लेट फार्म Government e-Market Place(GEM) जेम व्यवस्था  
लागू किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः उक्त वर्णित शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है  
कि निर्धारित व्यवस्थानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

सू. आ. (प्र. दि. नं.)

24/9/17  
Addl. (Secy.)

  
(अ. चोहान)  
आयुक्त एवं निबन्धक,  
सहकारिता, उ0प्र0,  
लखनऊ।

प्रेषक

अनिल कुमार  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक,  
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0, कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी,,  
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

दिनांक: 23 अगस्त, 2017

विषय:- उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा आनलाइन प्लेट फार्म Government e-Market Place, जेम (GeM) विकसित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जेम (GeM) को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य वित्तीय नियम-2017 द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु बाध्यकारी बनाया गया है। इस प्लेटफार्म पर आपूर्तिकर्ताओं/ विक्रेताओं के साथ विविध वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। पोर्टल के उपयोग से शासकीय विभागों हेतु क्रय व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाया जाना संभव हुआ है।

2- सामग्री के क्रय के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3(SP)/2010, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैन्युअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स)-2016 को प्रख्यापित किया है। इस मैन्युअल के अध्याय-8, मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत प्रस्तर-8.4 में सामग्री क्रय करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है। प्रस्तर-8.4 के बिंदु 10 में यह प्राविधान है कि राज्य सरकार सामग्री क्रय हेतु ऐसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किसी प्रक्रिया को अधिसूचित कर सकती है जो क्रय के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप तथा जनहित में हो। यह उल्लेखनीय है कि यह मैनूअल केवल सामग्री के क्रय के लिए प्रभावी है तथा इसमें सेवाओं को लिए जाने की व्यवस्था नहीं है।

3- अतः राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं की क्रय प्रक्रिया को जेम पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु प्रोक्योरमेंट मैनूअल के प्रस्तर-8.4 के बिंदु 10 की व्यवस्था के अंतर्गत सामग्री के क्रय तथा सेवाओं को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के General Financial Rules-2017 के नियम 149 में निहित प्राविधानों के अनुरूप निम्न व्यवस्था प्रख्यापित की जा रही है:-

(1) जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा। जो सामग्री अथवा सेवाएँ जेम पर उपलब्ध नहीं हैं, उन के लिए उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनूअल अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।

(2) उपरोक्तवत् क्रय करने वाले विभागों अथवा संस्थाओं को क्रय किए जाने की दरों के उपयुक्त होने को प्रमाणित किया जाएगा।

(3) क्रय करने वाले सरकारी विभागों अथवा संस्थाओं द्वारा जेम पोर्टल का उपयोग निम्नवत् किया जाएगा:-

(i) ₹0 50,000 तक का क्रय जेम पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करता है।

(ii) ₹0 50,000 से अधिक और ₹0 30,00,000 तक का क्रय जेम पर उपलब्ध ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा जो उपलब्ध आपूर्ति कर्ताओं में से सबसे कम मूल्य का सामान ऑफर कर रहा हो, परंतु शर्त यह है कि कम से कम तीन ऐसे विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के मूल्य की तुलना की जाएगी जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हों। जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बिडिंग और ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन के टूल्स का उपयोग भी क्रेता विभाग द्वारा किया जा सकेगा, अगर सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में निर्णय लेता है।

(iii) ₹0 30 लाख से ऊपर के क्रय में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन बिडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन टूल का उपयोग कर उस विक्रेता से क्रय किया जा सकेगा जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हुए सबसे कम मूल्य ऑफर करता है।

(iv) ऑनलाइन बिडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन में आमंत्रण जेम पोर्टल पर उपलब्ध सभी वर्तमान विक्रेताओं अथवा अन्य पंजीकृत विक्रेताओं को उपलब्ध होगा, जो जेम की नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपना प्रस्ताव करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(v) उपरोक्त मौद्रिक सीमा केवल जेम के माध्यम से क्रय करने पर लागू होगी। अन्य विधि से क्रय करने पर पूर्ववत् मौद्रिक सीमा लागू रहेगी।

(vi) क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जेम पोर्टल पर उपलब्ध व्यवसाय विश्लेषक (business analytics) टूल्स, जिसमें जेम पर उपलब्ध अंतिम क्रय मूल्य, विभाग द्वारा अंतिम क्रय मूल्य इत्यादि सम्मिलित हैं, का उपयोग कर मूल्यों के संबंध में औचित्य सुनिश्चित कर लेंगे एवं उसके बाद ही अपने क्रय आदेश देंगे।

(vii) आवश्यकता को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर क्रय नहीं किया जाएगा।

(viii) संबंधित विभाग जेम पोर्टल के नियम एवं शर्तों के आधार पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आवश्यक अधिकार प्रतिनिधानित करने हेतु आदेश निर्गत करेंगे।

(ix) जेम पोर्टल के उपयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग कार्यकारी निर्देश निर्गत कर सकेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये सभी संबंधित को अपने स्तर से सुसंगत निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

( अनिल कुमार )

प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2017/523(1)/18-2-2017-97(1030)/2016, ता.दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( रुद्र प्रताप सिंह )

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।